न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 15/2017

1– मांगी देवी पुत्री लालूराम पत्नी पुनाराम जाति विश्नोई निवासी मिठडिया तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–– अपीलांट

बनाम

1– कुशली पत्नी स्व0 लालूराम
2– रेंवतराम
3– बगडूराम
4– मोहनराम
5– भंवरलाल
6– बाबूलाल
7– समला

} – पिसरान पुत्र/पुत्रियां लालूराम जाति विश्नोई निवासी मिठडिया तहसील कोलायत जिला बीकानेर

8– राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

– रेस्पोडेन्टस

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री महेश गहलोत – अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेंद्र सिंह – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 3 ता 5
3. श्री दिनेश गहलोत – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1, 2 व 6
   – रेस्पोडेण्ट सं0 7 एकपक्षीय कार्यवाही
4. पैरोकारराज –

–: निर्णय :–

दिनांक :– 05–8–2019

यह अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं0 2 हाल तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा विरूद्ध दिनांक 14.6.2013 इस न्यायालय में दिनांक 10.11.17 को प्रस्तुत की गई।

संक्षेप में अपील प्रार्थना पत्र के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि चक 1 टीपीएम के मु0न0 188/1/10 में 19.12 बीघा, मु0न0 188/1/14 में 3 बीघा, मु0न0 188/1/7 में 2 बीघा, मु0न0 189/3/12 में 12 बीघा, मु0न0 189/9/16 में 14 बिस्वा, मु0न0 189/4/13 में 8 बिस्वा, मु0न0 189/4/9 में 17.02 बीघा, मु0न0 189/4/5 में 5 बीघा इस प्रकार कुल 60.4 बीघा भूमि व चक 1 एसडब्ल्यूएम के मु0न0 188/1/5 में 1 बीघा, मु0न0 188/1/9 में 13.16 बीघा, मु0न0 188/1/13 में 1 बीघा, मु0न0 188/1/16 में 12.14 बीघा कुल 28.08 बीघा की कुल 88.04 बीघा भूमि स्थित हैं। यह भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 7 के पिता/पति लालूराम की खातेदारी भूमि रही हैं। राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता लालूराम पूर्वज का स्वर्गवास होने के बाद उसके समस्त उतराधिकारियों मे 5 पुत्र 2 पुत्रियां पत्नी जायज वारिस हुए जिनका उतराधिकारी मे 1/8–1/8 हिस्सा विरासतन मे होता हैं। अपीलांट के पिता लालूराम का स्वर्गवास होने पर विरासतन इन्तकाल सं0 22 दर्ज किया गया हैं। जिसमें अपीलांट एवं एक पुत्री रेस्पोडेन्ट सं0 7 समला जायज वारिस होते हुए भी उनका नाम अंकित नही करके केवल पांच पुत्र एवं माता कुशली के नाम से इंतकाल स्वीकृत किया गया हैं। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मे मृतक के सभी जायज वारिसान मे पुत्र/पुत्रियों को बराबर हक प्राप्त होता हैं और वह लोग पिता की भूमि में अपना हक रखती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को ज्ञान होते हुए भी अपीलाधीन जैर इंतकाल पारित किया गया हैं जो नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इंतकाल

स्वीकृत करने से पूर्व लालूराम के समस्त वारिसान की जांच नही की गई कानूनन मृतक के समस्त उतराधिकारी के बारे मे जांच की जानी जरूरी हैं और उनको नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन जैर इंतकाल स्वीकृत किया गया हैं तथा मौके पर भी कोई जांच नही की गई जांच किये बगैर एवं बिना कब्जा के आधार पर पारित किया गया आदेश विधि विरूद्व हैं। अपीलांट दिनांक 24.9.17 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 6 से अपने हक व हिस्से की भूमि उसके नाम कराने हेतु कहा तो स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा धमकाया कि इस भूमि मे इसका कोई हक व अधिकार नही हैं और ना ही भूमि तुम्हारे नाम हैं बल्कि हमारे अकेले के नाम से दर्ज हो चुकी है इसलिए उसको तथा अन्य बहनों को कोई भूमि नही देंगे। कुछ भूमि हमने विक्रय कर दी हैं बाकी शेष भूमि भी विक्रय करेंगे। तब अपीलांट ने रिकार्ड दिखवाकर नकले निकलवाई इंतकाल जैर अपील की जानकारी दिनांक 25.9.17 को हुई उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा बाद तैयारी नकल दिनांक 25.9.17 को प्राप्त हुई। अपीलांट अनपढ महिला हैं इसलिए रिकार्ड की जानकारी नही हुई। उक्त देरी उपरोक्त कारणों से हुई हैं जो क्षमा योग्य हैं। जिसके लिए प्रार्थना पत्र मियाद व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अपील प्रस्तुत कर निवदेन हैं कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 22 निरस्त किया जाकर लालूराम के समस्त वारिसान के नाम से इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमावें।

उभयपक्ष बहस सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वकील अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। रेस्पोडेन्ट स0 1 से 6 तक के अभिभाषक श्री दिनेश गहलोत व श्री धीरेन्द्र सिंह के द्वारा अपील के सम्बन्ध मे यह स्वीकार किया कि यदि इंतकाल सं0 22 दिनांक 14.6.13 चक 1 टीपीएम की भूमि मे पुत्रियां का हिस्सा जायज वारिसान के रूप मे बनता हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नही हैं। अतः रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषकगण द्वारा अपील स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नही होने के कारण के परिप्रेक्ष्य में अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाता हैं। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल स0 22 दिनांक 14.6.13 चक 1 टीपीएम त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि जायज वारिसान की विधि पूर्वक जांच कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को मय रिकार्ड प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 05-8-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर